भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2714** जिसका उत्तर

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (20 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाना है

उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय सीफेररों की सुरक्षा

2714 श्री मिलिंद मुरली देवरा:

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडेसा के निकट गिनी-बिसाऊ ध्वजांकित पोत 'गोल्डन लियो पर हुए हालिया मिसाइल हमले, जिसमें भारतीय सीफेररों की मृत्यु हुई है, का संज्ञान लिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पोत किसी मुंबई स्थित पोत परिवहन कंपनी का था और क्या लागू किए गए सुरक्षा, बीमा, नियोजन एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनाती संबंधी मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है;

(ग) मृतक एवं घायल भारतीय सीफेररों के परिजनों को प्रदान की गई अथवा प्रस्तावित क्षतिपूर्ति, बीमा लाभ, स्वदेश वापसी की सहायता तथा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार संघर्ष-प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से होकर यात्रा करने वाले भारतीय सीफेररों के लिए अनिवार्य वास्तविक समय रजिस्ट्री, प्रवर्तनीय जोखिम आकलन नयाचार तथा रोजगार खोए बिना ऐसे क्षेत्रों में यात्रा करने से इनकार करने का अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ) गोल्डन लिओ जलयान का स्वामित्व लाइबेरिया स्थित ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड के पास है और यह गिनी-बिसाऊ के ध्वज के अधीन नौकायन करता है। उक्त जलयान पर दिनांक 19.07.2026 को ओडेसा पत्तन से प्रस्थान करते समय कथित रूप से हमला किया गया। घटना के समय जलयान पर कुल 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें **5** भारतीय नागरिक शामिल थे। इस घटना में दस (10) व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें चार (04) भारतीय नाविक शामिल थे। भारत सरकार ने नागरिक वाणिज्यिक जलयान

पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रत्येक मृतक भारतीय नाविक के निकटतम परिजन को सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी (एसडब्ल्यूएफएस) की ओर से ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हुए सभी अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय, समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय द्वारा संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में बढ़े हुए सुरक्षा जोखिमों के संबंध में भारतीय नाविकों, पोत स्वामियों, भर्ती एवं नियोजन सेवा अनुज्ञप्ति एजेंसियों (आरपीएसएल) तथा अन्य हितधारकों को सचेत एवं संवेदनशील बनाने के लिए कई एडवाइजरी जारी की गई है। जारी किए गए एडवाइजरी **अनुबंध** में संलग्न हैं।

अनुबंध

समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय द्वारा जारी एडवाइजरी

निम्नलिखित एडवाइजरी जारी किए गए हैं:

i. **डीजीएस एडवाइजरी (14.01.2026)** - ईरान पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए एडवाइजरी, जिसमें शिपिंग कंपनियों को परामर्श दिया गया था कि अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को ईरान न भेजा जाए, इस क्षेत्र में भारतीय कर्मीदलों की बारीकी से मॉनिटरिंग अपेक्षित है, और नाविकों को निर्देश जाएं कि वे भारत के दूतावास और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।

ii. **डीजीएस का 2026 परिपत्र संख्या 09 (28.02.2026)** - ईरान में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए तत्काल एडवाइजरी, जिसमें ईरान में भारतीय नाविकों को सतर्क रहने, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने, जहां संभव हो, सुरक्षित प्रस्थान के लिए समन्वय करने की आवश्यकता और हितधारकों को प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों का विवरण तत्काल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

iii.**डीजीएस का 2026 का परिपत्र संख्या 10 (06.03.2026)** - फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविकों और शिपिंग हितधारकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें निरंतर सतर्कता बनाए रखने, आईएसपीएस कोड सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने, 24x7 आपातकालीन संपर्क तंत्र स्थापित करने, भारतीय मिशनों से संपर्क बनाए रखने, आपातकालीन तैयारी, और जहां आवश्यकता हो, नाविकों व उनके परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग सहायता प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।

iv. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र संख्या 11 (07.03.2026)** - समुद्री हितधारकों और नाविक समुदाय के लिए सोशल मीडिया एडवाइजरी, जिसमें समुद्री हितधारकों को अप्रमाणित जानकारी, अफवाहों, नकली वीडियो या अटकलबाजी वाली रिपोर्टों को प्रसारित करने से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया है।

v. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र संख्या 21 (07.04.2026)** - ईरानी पत्तनों में किनारे पर और ईरानी जलक्षेत्र में या उसके आसपास प्रचालित जलयानों पर भारतीय नाविकों के लिए

सुरक्षा एडवाइजरी, जिसमें ईरान में नाविकों को निर्दिष्ट स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने, अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने, दूतावास की एडवाइजरी का पालन करने और कंपनी प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने का परामर्श दिया गया, साथ ही 24x7 आपातकालीन सहायता संपर्क विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

vi. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र संख्या 31 (13.06.2026)** - खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को दोहराया गया है, शिपिंग कंपनियों और आरपीएसएल कंपनियों को अगले आदेश होने तक भारतीय नाविकों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है (सहमति से आपातकालीन क्रू परिवर्तन को छोड़कर), मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, और सत्यापित सुरक्षा जानकारी का प्रसार किया गया है।

vii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र संख्या 41 (23.07.2026) -** काले सागर में प्रचालन करने वाले भारतीय नाविकों को ले जाने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए जारी एडवाइजरी, जिसमें अतिरिक्त सावधानी, यात्रा-विशिष्ट सुरक्षा मूल्यांकन, सुरक्षा एडवाइजरियों का कड़ाई से पालन और घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग की आवश्यकता है।

viii. **डीजीएस का 2026 का परिपत्र संख्या 42 (23.07.2026) -** बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, दक्षिणी लाल सागर और उसके पास यमन के जल में प्रचालन करने वाले जलयानों के लिए जारी एडवाइजरी, जिसमें जलयान स्वामियों और मास्टर्स को अत्यधिक सावधानी बरतने, सुरक्षा घटनाक्रमों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और अतिरिक्त जोखिम कम करने के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

ix. **डीजीएस का 2026 परिपत्र संख्या 47 (05.08.2026):** वाणिज्यिक जलयानों पर पुनः हो रहे हमलों के मद्देनज़र, खाड़ी क्षेत्र तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य में प्रचालनरत भारतीय नाविकों के लिए कड़े सुरक्षा एवं संरक्षा प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने का प्रावधान किया गया है।
